छत्तीसगढ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 23 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 4-2/खाद्य/07/29:: राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से छूटे हुए गरीब परिवारों को रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 'छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' बनाई है। यह योजना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

(आलोक शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग

छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	योजना का नाम	1
2	योजना का आरंभ	1
3	योजना का उद्देश्य	1
4	योजना की पृष्ठभूमि तथा फैलाव	2
5	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के प्रकार तथा उनकी पात्रता	7
6	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का कार्यान्वयन	9
7	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को अंतर की राशि का भुगतान	16
8	निगरानी और मूल्यांकन	18
9	योजना का प्रचार-प्रसार	18
10	प्ररूप-1	19
11	प्ररूप-2 अ	20
12	प्ररूप-2 ब	21

<u>छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए दिशा-निर्देश</u>

1) **<u>योजना का नाम</u>** – इस योजना का नाम 'छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' है।
2) **<u>योजना का आरंभ</u>** – इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सामग्री का वितरण 1 अप्रेल 2007 से प्रारंभ किया जाएगा।
3) **<u>योजना का उद्देश्य</u>** –योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से छूटे हुए गरीब परिवारों को निम्नानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना हैः –
   क) ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी परिवारों को भी बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनका नाम वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में हैं किन्तु वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में नहीं है।
   ख) शहरी क्षेत्रों के ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति नीले राशनकार्डधारी परिवारो को भी बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनका नाम वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में हैं किन्तु वर्ष 1997 के सर्वेक्षण

के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में नहीं है।

ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना, जिनके नाम वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में हैं, अथवा अथवा जो नीले राशनकार्डधारी नहीं हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल होने के कारण बी पी एल राशनकार्ड की पात्रता रखते हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना के लिए 38.34 प्रतिशत की सीमा निर्धारित किए जाने के कारण जिनके अन्त्योदय योजना का लाभ देने के लिए अन्त्योदय राशनकार्ड नहीं बनाए जा सके हैं।

घ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राहियों को बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री उपलब्ध कराना जिनके पास बी पी एल, अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नहीं हैं।

4) **<u>योजना की पृष्ठभूमि तथा फैलाव</u>** –

क) गरीबी रेखा की सूची बनाने के लिए सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1991, वर्ष 1997 तथा तत्पश्चात वर्ष 2002 में किए गए हैं, तथा शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1991 तथा वर्ष 1997 किए

गए हैं। इन सर्वेक्षणों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गए थे। परिणामस्वरूप वर्ष 1991 तथा वर्ष 1997 के सर्वेक्षणों के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूचियों में शामिल ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सूची में शामिल नहीं हैं, जो गरीब हैं। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार केवल गरीबी रेखा के अंतिम सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई सूची में शामिल परिवारों को ही बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री मिलने की पात्रता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोग जो वर्ष 1991 तथा वर्ष 1997 के सर्वेक्षणों के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूचियों में शामिल थे और वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल नहीं हैं केंद्र सरकार की योजना के तहत बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में ऐसे गरीब लोग जो वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल थे और वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल नहीं हैं केंद्र सरकार की योजना के तहत बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के

तहत केसरिया रंग का राशनकार्ड बनाकर बी पी एल दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ए पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे बी पी एल दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी, तथा अंतर की राशि छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशन को देगी।

ख) वर्ष 2002 तथा पूर्व के सर्वेक्षणों के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूचियों में शामिल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त परिवार इतने गरीब हैं कि उन्हें अन्त्योदय दर पर सार्जनिक वितरण प्रणाली की सामग्री मिलनी चाहिए। किन्तु केन्द्र सरकार ने अन्त्योदय योजना के लिए गरीबी रेखा में शामिल कुल परिवारों के 38.34 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इस कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनेक परिवार गरीब होने पर भी अन्त्योदय योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब परिवारों को अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार -

एक) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो परिवारों को जो वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में शामिल हैं किन्तु अन्त्योदय योजना में शामिल नहीं हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता

योजना के अंतर्गत स्लेटी रंग का राशनकार्ड बनाकर अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बी पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे अंत्योदय दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी, तथा अंतर की राशि स्टेट सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशन को देगी।

दो) ग्रामीण तथा शहरी दोनो ही क्षेत्रों में ऐसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नीले राशनकार्डधारी परिवारों को, जो वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 के सर्वेक्षणो के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सूची में शामिल हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत स्लेटी रंग का राशनकार्ड बनाकर अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण क्षत्रों में 1991 तथा 1997 के सर्वेक्षण की गरीबी रेखा की सूची में शामिल तथा शहरी क्षेत्रों में 1991 के सर्वेक्षण की गरीबी रेखा की सूची में शामिल स्लेटी राशनकार्डधारी परिवारों के लिए केन्द्र सरकार से ए पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे अंत्योदय दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी, एवं शहरी क्षेत्रों में 1997 के सर्वेक्षण की गरीबी रेखा की सूची में शामिल परिवारों के लिए केन्द्र सरकार से बी पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे अंत्योदय दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी,

तथा अंतर की राशि स्टेट सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशन को देगी।

तीन) विशेष पिछडी जनजातियों को अन्त्योदय राशन कार्ड पहले से ही दिए गए हैं। यदि विशेष पिछडी जनजाति के किसी परिवार को पूर्व में अन्त्योदय राशनकार्ड नहीं मिला हो तो ऐसे परिवार को, चाहे उसका नाम किसी भी गरीबी रेखा की सूची में न हो, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में स्लेटी रंग का राशनकार्ड बनाकर अन्त्योदय दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ए पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे अंत्योदय दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी, तथा दर के अंतर की राशि स्टेट सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशन को देगी।

ग) केन्द्र सरकार की अन्नपूर्णा योजना में केवल उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता है, परन्तु केन्द्र सरकार का बजट आबंटन कम होने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। जिन हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है उन्हें अन्न्पूर्णा योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न नहीं मिलता है। ऐसे लोग भी निराश्रित हैं, और इन्हें मिलने वाली पेंशन राशि काफी कम है, अतः इन्हें रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना आवश्यक है। निराश्रित तथा निःशक्त व्यक्तियों

के लाभ के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राहियों को, जिनके पास बी पी एल अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नहीं हैं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में '10 किलोग्राम वाले केसरिया राशनकार्ड' बनाकर बी पी एल दर पर 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ए पी एल दर पर चावल प्राप्त करके उसे बी पी एल दर पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगी, तथा अंतर की राशि स्टेट सिविल सप्लाइज़ कारपोरेशन को देगी।

5) **<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के प्रकार तथा उनकी पात्रता</u>** – मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के राशनकार्ड जारी किए जाएंगेः-

क) **<u>केसरिया राशन कार्ड</u>** –

एक) ग्रामीण क्षेत्रों में केसरिया राशनाकार्ड उन पहले से नीले रंग के बी पी एल राशन कार्डधारी गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जारी किए जाएंगे जिनके नाम वर्ष 1991 या वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल है, किन्तु वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल नहीं हैं।

दो) शहरी क्षेत्रों में केसरिया राशनकार्ड उन उन पहले से नीले रंग के बी पी एल राशन कार्डधारी गैर अनुसूचित जाति,

गैर अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जारी किए जाएंगे जिनके नाम वर्ष 1991 के सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल है, किन्तु वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल नहीं हैं।

ख) **<u>स्लेटी राशन कार्ड</u>** – स्लेटी राशनकार्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों को जारी किए जाएंगे जो अन्त्योदय राशनकार्डधारी नहीं हैं, किन्तु जिनके नाम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में शामिल हैं अथवा शहरी और ग्रामीण दोनो ही क्षत्रों में जिनके पास पूर्व की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूचियों में शामिल होने के आधार पर पहले से नीले रंग के बी पी एल राशनकार्ड हैं। इसके अतिरिक्त स्लेटी राशन कार्ड उन समस्त विशेष पिछडी जनजाति के परिवारों को भी जारी किए जाएंगे जिनके पास अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा राशन कार्ड नहीं हैं, चाहे उनका नाम किसी भी गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नहीं हो।

ग) **<u>10 किलो पात्रता वाले केसरिया राशन कार्ड</u>** - 10 किलो पात्रता वाले केसरिया राशन कार्ड राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उन हितग्राहियों को जारी किए जाएंगे जिनके पास नीले रंग के बी पी एल राशनकार्ड या गुलाबी रंग के अंत्योदय या पीले रंग के अन्नपूर्णा राशन कार्ड नहीं हैं।

6) **<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का कार्यान्वयनः</u>** – इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाएंगीः –

क)**<u>राशन कार्ड बनाना तथा वितरण</u>** – इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने का काम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। राशन कार्ड बनाने के लिए लिम्नलिखित कार्यवाहियां की जाएंगीः –

एक) **<u>सूचियां तैयार करना</u>** – राशन कार्ड बनाने के लिए निम्नानुसार सूचियां तैयार की जाएंगी –

(अ) **<u>पुराने बी पी एल राशनकार्ड तथा अन्य रजिस्टरों के आधार पर नए कार्डों के लिए सूची बनाना</u>** – इसके लिए पुराने बी पी एल कार्ड रजिस्टर की फोटोकापी की जाएगी। इस फोटोकापी सूची का मिलान पहले अंत्योदय राशन कार्ड रजिस्टर से किया जाएगा। जो नाम अंत्योदय राशन कार्ड रजिस्टर में हैं वे नाम इस फोटोकापी सूची से काट दिए जाएंगे। इस संशोधित फोटोकापी सूची का मिलान अन्नपूर्णा रजिस्टर से किया जाएगा। जो नाम अन्नपूर्णा रजिस्टर में हैं वे नाम भी फोटोकापी सूची से काट दिए जाएंगे। तत्पश्चात –

(१) ग्रामीण क्षत्रों में संशोधित फोटोकापी सूची का मिलान वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची से किया जाएगा। जो नाम वर्ष 2002 की गरीबी

रेखा की सर्वेक्षण सूची में हैं वे नाम भी उपरोक्तानुसार संशोधित फोटोकापी सूची से काट दिए जाएंगे। अब फोटोकापी सूची में जो नाम बच जाएंगे उन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामों के आगे 'स्लेटी कार्ड', तथा अन्य नामों के आगे 'केसरिया कार्ड' लिखा जाएगा।

(२) शहरी क्षत्रों में संशोधित फोटोकापी सूची का मिलान वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची से किया जाएगा। जो नाम वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में हैं उनके आगे 'पीला कार्ड' लिखा जाएगा तथा इनके राशन कार्ड मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में नही बनाए जाएंगे, बल्कि इनके पीले रंग के बी पी एल राशनकार्ड बनाए जाएंगे। शेष नामों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामों के आगे 'स्लेटी कार्ड' तथा अन्य नामों के आगे 'केसरिया कार्ड' लिखा जाएगा।

(आ) **<u>ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची के आधार पर नए कार्डों के लिए सूची बनाना</u>** – ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची की फोटोकापी की जाएगी। इस फोटोकापी सूची से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नामों को छोडकर अन्य नाम काट दिए

जाएंगे। इसके बाद इस संशोधित फोटोकापी सूची से वे नाम भी काट दिए जाएंगे जो अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा रजिस्टर में शामिल हैं। फोटोकापी सूची में शेष बचे नामों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इन नामों के आगे 'स्लेटी कार्ड' लिखा जाएगा।

(इ) **<u>राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशेन योजना के हितग्राहियों की सूची के आधार पर नए कार्डों के लिए सूची बनाना</u>** - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों की सूची की फोटोकापी की जाएगी। इस फोटोकापी में से वे नाम काट दिए जाएंगे जिनके पास अन्त्योदय, बी पी एल अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड हैं। शेष नामों की सूची को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इस सूची में विशेष पिछडी जनजाति के नामों के आगे 'स्लेटी कार्ड' तथा शेष के आगे '10 किलो केसरिया कार्ड' लिखा जाएगा।

(ई) **<u>विशेष पिछडी जनजातियों के हितग्राहियों की सूची बनाना</u>** – प्रत्येक ऐसे जिले में जिसमें विशेष पिछडी जनजातियों के लोग निवास करते हैं, एक सर्वेक्षण करके विशेष पिछडी जनजातियों के परिवारों की सूची बनाई जाएगी। इस सूची की एक फोटोकापी की जाएगी। इस फोटोकापी सूची में सें वे नाम काट दिए जाएंगे जिन परिवारों के नाम अंत्योदय रजिस्टर

अथवा अन्नपूर्णा रजिस्टर में हैं। इस प्रकार संशोधित फोटोकापी सूची से वे नाम भी काट दिए जाएंगे जो वर्ष 1991, वर्ष 1997 अथवा वर्ष 2002 के सर्वेक्षण की गरीबी रेखा की सूची में हैं। फोटोकापी सूची के शेष के नाम के आगे 'स्लेटी कार्ड' लिखा जाएगा।

दो) **<u>नए राशन कार्ड छपवाना</u>** – उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूचियों का कम्प्यूटरीकरण खाद्य संचालनालय द्वारा प्रदाय किए गए साफ्टवेयर से जिला स्तर पर किया जाएगा। एक बार सूचियां कम्प्यूटरीकृत हो जाने के बाद राशन कार्ड मय हितग्राही के नाम और अन्य विवरण के जिला स्तर पर इलेक्ट्रानिक रूप में कम्प्यूटर पर तैयार किए जाएंगे। इसकी साफ्टकापी राज्य स्तर पर खाद्य संचालनालय द्वारा निर्धारित एजेंसी को भेजकर कार्ड छपवाए जाएंगे। राशनकार्ड हितग्राही के नाम तथा बारकोड के साथ प्रिंट किए जाएंगे। प्रिंट करने के बाद इनपर होलोग्राम लगाए जाएंगे। प्रिंट किए गए कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डवार जमाकर रखे जाएंगे। जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के लिए राशनकार्ड जारी करने हेतु एक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी करके करेगा। कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी राज्य स्तर पर प्रिंट किए गए राशनकार्डों की जांच वर्ष 1991, वर्ष 1997 तथा वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची, नीले राशनकार्डो के रजिस्टर,

अन्त्योदय राशनकार्डो के रजिस्टर, अन्नपूर्णा राशनकार्डो के रजिस्टर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशेन योजना के हितग्राहियों के रजिस्टर, तथा विशेष पिछडी जनजातियों के परिवारों की सूची से मिलान करके करेगा। यह जांच करने के उपरान्त सही पाए गए राशनकार्ड में कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी अपनी सील लगाकर हस्ताक्षर करेगा। जो राशनकार्ड इस जांच में सही नहीं पाए जाएंगे वे जिला कलेक्टर को वापस भेजे जाएंगे, जो कम्प्यूटर से उनकी प्रविष्टियों को हटवाकर उन्हें नष्ट करवाएगा। ऐसे नष्ट किए गए राशनकार्डों की प्रविष्टियां राशनकार्ड रजिस्टर में लाल स्याही से कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा काट दी जाएंगी। कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित राशनकार्डों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय के किसी कर्मचारी द्वारा परिवार के सदस्यों की जानकारी भरी जाएगी। इस जानकारी की सत्यता के प्रमाणस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड मेम्बर हस्ताक्षर करेगा।

तीन) **<u>नए राशन कार्डों का वितरण</u>** – नए राशन कार्ड पंचायत वार जमाकर रखे जाएंगे जिन्हें इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर लगाकर वितरित किया जाएगा। कार्ड वितरण की तिथि, स्थान आदि का पूरा प्रचार-

प्रसार पहले से किया जाएगा ताकि कोई व्यक्ति कार्ड प्राप्त करने से वंचित न रहे। फिर भी यदि कोई राशनकार्ड अवितरित रह जाते हैं, तो उन्हें ग्राम पंचायत को वितरण हेतु सौंप दिया जाएगा। राशन कार्ड वितरण के लिए ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर प्ररूप–1 में एक राशनकार्ड वितरण रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक रंग के राशन कार्ड के लिए उसी रंग के पृष्ठ अलग-अलग होगे, जिनमें उस रंग के राशनकार्डों की जानकारी होगी। राशन कार्ड वितरण रजिस्टर की एक प्रति संबंधित उचित मूल्य की दुकान में तथा एक प्रति तहसीलदार के कार्यालय में भी रखी जाएगी। राशन कार्ड रजिस्टर तीनो स्थानो पर आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड रजिस्टर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरंक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।

चार) **<u>छूट गए परिवारों के राशन कार्ड बनाना</u>** – यदि किसी कारणवश कोई परिवार मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता रखने पर भी राशन कार्ड प्राप्त करने से वंचित जाए, तो वह अपनी पात्रता वाला नया राशनकार्ड प्राप्त करने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा। तहसीलदार सम्यक जांच उपरांत इस बात की संतुष्टि कर लेने के बाद कि आवेदक मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की पात्रता रखता है कलेक्टर को अपना प्रतिवेदन भेजेगा,

और कलेक्टर परिवार का विवरण कम्प्यूटर में प्रविष्ट करवाकर उसका राशन कार्ड बनवाकर संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित करवाएगा।

पाँच) <u>डुप्लीकेट राशन कार्ड</u> – यदि इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति का राशन कार्ड किसी कारणवश खो जाता है, अथवा नष्ट हो जाता है, तो वह डुप्लीकेट राशनकार्ड बनवाने के लिए तहसीलदार को आवेदन करेगा। तहसीलदार अपने रिकार्ड के आधार पर तस्दीक करेगा कि उसका राशनकार्ड इस योजना के आधार पर बनाया गया था। तत्पश्चात तहसीलदार राशनकार्ड खो जाने अथवा नष्ट हो जाने के संबंध में उस व्यक्ति का शपथपूर्वक बयान अंकित करेगा। तत्पश्चात तहसीलदार रिकार्ड में उस राशन कार्ड का पुराना क्रमांक देते हुए कलेक्टर को डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अपना प्रतिवेदन भेजेगा। कलेक्टर डुप्लीकेट राशनकार्ड बनवाकर और डुप्लीकेट राशनकार्ड जारी करने का उल्लेख कम्प्यूटर में कराकर उसे संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित करवाएगा।

ख) <u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण</u> – इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री उसी प्रकार मिलेगी जिस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य योजनाओं में मिलती है।

ग) **<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत सामग्री का आबंटन, भंडारण आदि</u>** – इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर से जिलों को सामग्री का आबंटन कार्डों की संख्या के आधार पर साल में एक बार किया जाएगा। जिला स्तर से उचित मूल्य की दुकानों के लिए आबंटन कार्डों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह जारी किया जाएगा। आबंटन के आधार पर स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन प्रति माह रिलीज आर्डर जारी करेगा, तथा सामग्री का भंडारण दुकानों में द्वार प्रदाय योजना अथवा लीड समितियों के माध्यम से उसी प्रकार कराएगा जिस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य योजनाओं के लिए कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाली सामग्रियों का लेखा उसी प्ररूप में पृथक से रखा जाएगा जिस प्ररुप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य योजनाओं के लिए रखा जाता है।

7) <u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को अंतर की राशि का भुगतान</u> –

क)मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत केसरिया राशनकार्डों तथा '10 किलो वाले केसरिया राशनकार्डों' पर वितरित खाद्यान्न के लिए स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को राज्य सरकार से ए पी एल तथा बी पी एल की दर के अंतर की राशि देय होगी।

ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत स्लेटी राशनकार्डों के लिए स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को निम्नानुसार अंतर की राशि देय होगी –

एक) जिन स्लेटी राशन कार्डधारियों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में अथवा शाहरी क्षेत्रों की वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में शामिल हैं उनपर वितरित खाद्यान्न के लिए स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को राज्य सरकार से बी पी एल तथा अंत्योदय की दर के अंतर की राशि देय होगी।

दो) जिन स्लेटी राशन कार्डधारियों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में अथवा शाहरी क्षेत्रों की वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में शामिल शामिल नहीं हैं उनपर वितरित खाद्यान्न के लिए स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को राज्य सरकार से ए पी एल तथा अंत्योदय की दर के अंतर की राशि देय होगी।

ग) अंतर की राशि प्राप्त करने के लिए जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन तथा संबंधित जिले के कलेक्टर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्ररूप- 2अ तथा प्ररूप- 2ब में एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रति तिमाही में राज्य शासन को स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को दी जाएगी।

8) **<u>निगरानी और मूल्यांकन</u>** –

क) इस योजना की निगरानी सभी स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए गठित समितियों द्वारा की जाएगी। जिला कलेक्टर द्वारा योजना की सतत निगरानी साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में की जाएगी।

ख) योजना का मूल्यांकन योजना प्रारंभ होने के एक वर्ष के बाद किया जाएगा।

ग) योजना के अंतर्गत जन-शिकायतों के निराकरण के लिए वही व्यवस्था होगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए है।

9) **<u>योजना का प्रचार-प्रसार</u>** – इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा जिससे सभी व्यक्ति योजना का पूरा लाभ उठ सकें, तथा सभी को कार्डों के रंग के आधार पर मिलने वाली सामग्री तथा उसकी दर की जानकारी हो सके। प्रचार-प्रसार में यह बात भी स्पष्ट की जाएगी, कि इस योजना के द्वारा किसी का नाम गरीबी रेखा की सूची में जोडा अथवा काटा नहीं जा रहा है, बल्कि केवल इन सूचियों के आधार पर कार्ड बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री प्रदाय करने की व्यवस्था की जा रही है।

<u>प्ररूप-1</u>

<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना</u>

<u>राशन कार्ड रजिस्टर</u>

जिले का नाम _____

विकासखंड/नगर का नाम _____

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम _____

ग्राम का नाम _____

राशन कार्ड का रंग/प्रकार (केसरिया/10 किलो केसरिया/ स्लेटी)

अनु क्रमांक	परिवार के मुखिया का नाम	जाति (अजा/अजजा/अपिव /अन्य)	कार्ड का क्रमांक	बारकोड	गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची का वर्ष	गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची का क्रमांक	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

<u>प्ररूप-2 अ</u>

<u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना</u>

<u>उपयोगिता प्रमाणपत्र</u>

क्र	कार्ड का प्रकार	दर	आबंटन	भारतीय खाद्य निगम के स्कंध से वितरण				बिकेंद्रीक्रत उपार्जन योजना के स्कंध से वितरण				कुल वितरण
				अरवा चावल		उसना		अरवा चावल		उसना		
				कामन	ग्रेड-ए	कामन	ग्रेड-ए	कामन	ग्रेड-ए	कामन	ग्रेड-ए	
1	35 किलो केसरिया	ए पी एल दर पर प्राप्त करके बी पी एल दर पर वितरण										
2	10 किलो केसरिया	ए पी एल दर पर प्राप्त करके बी पी एल दर पर वितरण										
3	35 किलो स्लेटी (शहरी क्षेत्र में 1997/ ग्रामीण क्षेत्र में 2002 की गरीबी रेखा सूची में शामिल नहीं)	ए पी एल दर पर प्राप्त करके अंत्योदय पर वितरण										
4	35 किलो स्लेटी (शहरी क्षेत्र में 1997/ ग्रामीण क्षेत्र में 2002 की गरीबी रेखा सूची में शामिल है)	बी पी एल दर पर प्राप्त करके अंत्योदय पर वितरण										

हस्ताक्षर जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन हस्ताक्षर कलेक्टर

प्ररूप-2 ब

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

उपयोगिता प्रमाणपत्र

क्र	कार्ड का प्रकार	दर	शहरी		ग्रामीण		कुल वितरण
			भारतीय खाद्य निगम से	डी सी पी से	भारतीय खाद्य निगम से	डी सी पी से	
1	35 किलो केसरिया	ए पी एल दर पर प्राप्त करके बी पी एल दर पर वितरण					
2	10 किलो केसरिया	ए पी एल दर पर प्राप्त करके बी पी एल दर पर वितरण					
3	35 किलो स्लेटी (शहरी क्षेत्र में 1997/ ग्रामीण क्षेत्र में 2002 की गरीबी रेखा सूची में शामिल नहीं)	ए पी एल दर पर प्राप्त करके अंत्योदय पर वितरण					
4	35 किलो स्लेटी (शहरी क्षेत्र में 1997/ ग्रामीण क्षेत्र में 2002 की गरीबी रेखा सूची में शामिल है)	बी पी एल दर पर प्राप्त करके अंत्योदय पर वितरण					

हस्ताक्षर जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन हस्ताक्षर कलेक्टर